SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, I would like to know from the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs, through you, that West Bengal, and everyone knows it, is seriously affected by the Left Wing Extremist activities. In our State, in the category of security-related expenditure and other development action plan, which were given by the Central Government, recently I came to know ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bhunia*ji*, put your question please.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, I am just coming to that. How will I put my question, if you intervene this way?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You are explaining a lengthy background. You have a very short time to put a question.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: If you do not allow, then,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no! I am allowing you. I allowed, इसीलिए आप खड़े हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं।

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: If you intervene me this way, it is difficult to put the question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are a lot of specific questions. We have done only three questions till now.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, my question to the hon. Minister is: recently, in the last few months, why has the Central Government stopped the Action Plan, Development Fund for West Bengal in the Left Wing Extremism areas?

श्री जी. किशन रेड्डी : उपसभापति जी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो Utilization Certificate भेजा जाना चाहिए हम National Crime Record Bureau का रिकॉर्ड नहीं दे पाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार से वह रिकॉर्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के Left Wing Extremism districts के संबंध में है, उसमें मैं पूरा बताऊंगा। हम किसी राज्य को अलग से नहीं देखते हैं, बल्कि सभी प्रांतों में हर जिले को समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा दिया जाना है, वह पैसा दिया जा रहा है।...**(व्यवधान)**...

अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से जातियों को बाहर रखा जाना

***334. श्री हरनाथ सिंह यादव** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में मूल रूप से शामिल कुछ जातियों

को आरक्षण से जुड़े लाभों तथा सुविधाओं के दायरे से बाहर रखने की कोई कार्य योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है कि कुछ जातियों ने अनुचित तरीके से आरक्षण से जुड़े लाभों को प्राप्त किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है।

Exclusion of castes from OBC list

†*334. SHRI HARNATH SINGH YADAV : Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government has formulated any action plan for excluding some of the castes, which originally had been included in the list of Other Backward Classes (OBCs) from the ambit of reservation iinked benefits and facilities, if so, the details thereof; and

(b) whether Government has conducted any survey to ascertain whether certain castes availed the reservation related benefits through unfair means, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI KRISHAN PAL) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) At present, there is no such proposal under consideration.

(b) No such survey has been conducted by the Government.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की ग्रुप-ए, बी, सी, डी के कुल पदों की संख्या कितनी है और इनमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अब तक भरे हुए पदों की ग्रुप अनुसार संख्या कितनी है और उसका प्रतिशत क्या है?

श्री कृष्ण पाल : श्रीमान जी, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसकी जानकारी अलग से इनको दे दी जाएगी।

श्री उपसभापति : दूसरा सवाल।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत पदों के सापेक्ष ग्रुप "ए" की सेवाओं में 13.99 परसेंट, ग्रुप "बी" की सेवाओं में 12.22 परसेंट, ग्रुप "सी" की सेवाओं में 4.35 परसेंट और ग्रुप "डी" की सेवाओं में 12.54 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये स्थान रिक्त पड़े हैं और नियुक्तियां पूर्ण नहीं हुईं, तो कुछ जातियों ने आरक्षण का लाभ हड़प लिया, यह चर्चा समय-समय पर क्यों होती है? आरक्षण-व्यवस्था पर पुनर्विचार करने हेतु आयोग गठित करने का औचित्य क्या हे? रिक्त पदों को...

श्री उपसभापति : माननीय हरनाथ जी, एक साथ चार सवाल नहीं होते। आपके दो सवाल हो गए, अब आप खत्म कीजिए। आप सवाल पूछ चुके हैं।

श्री कृष्ण पाल : श्रीमान जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, पहले तो वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी है और जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उनको उससे अवगत करा दिया जाएगा।

श्री उपसभापति : श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय उपसभापति महोदय, अभी हाल ही में 24 जून, 2019 का उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों - कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, माझी, मछुवा के लिए एक शासनादेश जारी किया था, जिनके प्रमाण पत्र जिलाधिकारी नहीं बना रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव की सरकार ने दिसम्बर, 2016 में जो शासनादेश जारी किया था, क्या उसका अनुपालन जिलाधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आदेश दिया है?

श्री कृष्ण पाल : श्रीमान जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, यह राज्य सरकार से संबंधित है। केन्द्र सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है, जब आएगी, तब आपको अवगत करा दिया जाएगा।

श्री उपसभापति : श्री हुसैन दलवई।

श्री हुसैन दलवई : महोदय, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आय है, उसके बाद तीन और रिपोर्ट्स आयी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि मुस्लिम सबसे पिछड़े हैं, एजुकेशन में तो दलितों से भी पिछड़े हैं। क्या आप उनके बारे में, उनको exclude करने के बार में विचार करेंगे?

श्री कृष्ण पाल : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है, अगर उस मूल प्रश्न से संबंधित कोई supplementary जानना चाहे, तो उसका जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर सवाल से अलग कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप बताइएगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी।

डा. अशोक बाजपेयी : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अति पिछड़ी जातियों में से 16 जातियों को कई राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो गया है या उसमें कहीं कोई... इस संबंध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन अति पिछड़ी 16 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है या नहीं?

श्री कृष्ण पाल : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बार-बार सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे राज्यों से संबंधित सवाल कर रहे हैं, जिनकी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। जो मूल प्रश्न है, यदि उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री उपसभापति : ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 335, श्री ए. विजयकुमार।

Guidelines for change of names

*335. SHRI A. VIJAYAKUMAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware that change of names of place/city/area have taken place in recent years;

(b) whether Government has any proposal to make guidelines for change of names; and

(c) whether any authority is to be set up for approving of change of names of city/place, etc. in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The administrative guidelines for change in the name of villages/ towns/ railway stations, etc. are already in place whereby States/UTs are required to seek 'No Objection' from the Ministry of Home Affairs.